कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन क्रं.–05 सेक्टर 06

विद्युत पोलो पर विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु निविदा की नियम–शर्ते

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिग) लगाने वाले क्षेत्र मुख्य मार्ग /आंतरिक मार्ग 2 जोनो में बांटा गया है, विज्ञापन बोर्ड (होर्डिग) लगाने हेतु स्थल निविदा के माध्यम से अधिकतम दरदाता को सक्षम स्वीकृति उपरांत अनुमति दिया जावेगा। विवरण निम्नानुसार हैः–

कमांक	विज्ञापन जोन मार्ग	लोकेशन	पोल संख्या	प्रस्तावित बोर्ड संख्या, आकार 2X3 वर्ग फुट	निर्धारित न्यूनतम राशि
1.	मुख्य मार्ग	1. शहिद कौशल मार्ग से उतई जाने वाली सड़क।	56	672 वर्ग फुट	2/– प्रति वर्ग फुट प्रति पोल प्रति दिन।
		2. डी. ए. वी. रोड़	33	396 वर्ग फुट	2/– प्रति वर्ग फुट प्रति पोल प्रति दिन।
		3. श्री राम चौक से शहिद चौक	11	132 वर्ग फुट	2/– प्रति वर्ग फुट प्रति पोल प्रति दिन।
		4. 32 बंगला ओवर ब्रिज	56	672 वर्ग फुट	2/– प्रति वर्ग फुट प्रति पोल प्रति दिन।
2.	आंतरिक मार्ग	हुडको के आंतरिक क्षेत्र	990	11,880 वर्ग फुट	1/– प्रति वर्ग फुट प्रति पोल प्रति दिन।

1. विज्ञापन बोर्ड लगाने, ठेका हेतु निविदा प्रपत्र निगम में 500/–(पांच सौ रू0) जमा कर निविदा तिथि से एक दिवास पूर्व अर्थात दिनांक .... तक कार्यालयीन दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

2. विज्ञापन बोर्ड केवल 2' X 3' वर्गफुट साईज हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है, यदि विज्ञापन एजेन्सी इससे अधिक या बड़ा होर्डिग लगाना चाहेगें तो इसकी अनुमति स्थल उपलब्ध होने पर उस क्षेत्र के श्रेणी हेतु प्राप्त अधिकतम राशि के समानुपातिक राशि जमा करने पर निगम द्वारा सक्षम स्वीकृति उपरांत लगाया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3. निविदादाता को प्रत्येक जोन अथवा जोन में विभक्त भाग के लिये पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. निगम के बकाया राशि से संबंधित किसी भी बकायादार को निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी । निगम के बकायादारों के द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त न.पा.नि भिलाई को होगा, तथा उसके द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट पूर्व बकाया राशि काटकर वापस कर दी जावेगी।

5. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को दिनांक .... अपरान्ह 3.00 बजे तक बंद लिफाफा में निविदा प्रपत्र के साथ ठेके के कुल राशि का 50 प्रतिशत राशि का **FDR** जोन आयुक्त न.पा.नि भिलाई के नाम से जोन 05 कार्यालय में जमा करना होगा। किसी भी स्थिति में नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र के साथ **FDR** संलग्न नहीं पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त माना जावेगा। प्रथम एवं द्वितीय निविदा दाता को छोड़कर शेष का **FDR** दूसरे दिन वापस कर दी जावेगी।

6. विज्ञापन बोर्ड लगाने ठेका हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त समस्त निविदाओं को दिनांक .... अपरान्ह 4.00 बजे तक निविदादाताओं तथा उसके उपस्थित प्रतिनिथियों के समक्ष निगम के जोन 05 कार्यालय के जोन आयुक्त कक्ष में खोला जावेगा । इसके लिये पृथक से सूचना पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

7. दरदाता को ठेका की निविदा निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक दर पर ही निविदा भरना होगा। किसी भी निविदा में निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम राशि प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

8. प्राप्त अधिकतम दर स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा ।

9. विज्ञापन बोर्ड ठेका के निविदा के शेष राशि स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से 6 माह के अंदर निगम कार्यालय में जमा करना होगा । उक्त निर्धारित तिथि के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं करने पर एवं समानुपातिक राशि जमा रहने पर 7 दिनों के भीतर 50/– रू0 प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क सहित शेष बकाया राशि जमा कराया जा सकेगा। विलंब शुल्क सहित निर्धारित अवधि के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं करने पर विज्ञापन बोर्ड का ठेका निरस्त कर पुनः निविदा किया जावेगा। इसके लिये ठेकेदार का किसी भी प्रकार की क्षति के लिये दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10. विज्ञापन बोर्ड की ठेका (दर) एक वर्ष के लिये देना होगा, तथा 10–10 प्रतिशत वृद्धि कर दो बार नवीनीकरण किया जायेगा, इस प्रकार विज्ञापन बोर्ड लगाने की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा नवीनीकरण की 50 प्रतिशत की राशि अग्रीम तथा 50 प्रतिशत की राशि 6 माह के अंदर जमा करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. होर्डिंग यातायात में बाधक ना हो। यह कि होर्डिंग को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करना होगा और होर्डिंग को पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संचालित एजेंसी की होगी।

12. यह की जव कभी निगम के द्वारा होर्डिंग के स्थल और /या उसको मजबूती देने वाले ढांचे की सूरक्षा और स्थिरता के वारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश दिया जाएगा तथा संबंधित एजेंसी /व्यक्ति को अपने व्यय पर निगम की सम्पूर्ण संतुष्टि अनुसार ऐसा प्रमाण पत्र अनिर्वाय रूप से प्रस्तुत करना होगा। तथा लगाये गये श्रेणी अनुसार निगम में सूची प्रस्तुत करना होगा । तथा अधिकतम दरदाता एजेंसी के द्वारा अन्य एजेंसी को बोर्ड दिये जाने पर विस्तृत विवरण सहित सूची निगम में प्रस्तुत करना होगा ।

13. लगाये जाने होर्डिंग में राष्ट्रीयता, समाजिक, समरसता, छ.ग. राज्य की गरिमा, क्षेत्रीयता, जाति ,धर्म एवं अन्य जो जानवूझकर विद्वेश (प्रेरित करते हो) के संकेत को चिन्हित करते हो का उपयोग नहीं होना चाहिए।

14. भारत निर्चाचन आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सूनिश्चित करना होगा ।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर ठेका निरस्त करतें हुए जमा राशि राजसात कर पुनः निविदा की कार्यावाही न.पा.नि. भिलाई द्वारा की जायेगी ।

16. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त न.पा.नि. भिलाई का निर्णय सर्वामान्य होगा।

जोन–आयुक्त
जोन क्र–05 सेक्टर 06
नगर पालिक निगम,
भिलाई

Scanned with OKEN Scanner